पत्र संख्या :26 / विविध–04–03 / 2024– /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

:: आदेश ::

प्रस्तुत अपील मेसर्स श्रीराम इंटरप्राइजेज, श्रीराम टावर, नया बाजार, भागलपुर (निबंधन संख्या–RD050225C1PF24169249, श्रेणी–प्रथम) को विभागीय आदेश–सह– ज्ञापांक–6665 दिनांक 05.12.2025 द्वारा पांच वर्षों के लिए काली सूची में डाले जाने के विरुद्ध है।

2. इनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आलोक में कार्यालय को बिंदुवार समीक्षा के साथ प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया, जिस क्रम में बिंदुवार समीक्षा करके कार्यालय टिप्पणी दी गयी जो निम्नवत् है–

क्र0	*अभ्यावेदन में अंकित तथ्य*	*समीक्षा*
1.	*हमारी कम्पनी द्वारा गंगा पम्प नहर प्रमंडल संख्या 02 बटेश्वर स्थान शिविर शिवनारायणपुर भागलपुर के कार्यान्तर्गत एकरारनामा संख्या 02एस0बी0डी0/2012–13 के तहत शाखा नहर II के वि०दू0 0.00 से वि०दू० 8.20 तक ब्रीक लाइनिंग कार्य का एकरारनामा दिनांक 01.02.2013 को संपादित किया गया था जिसकी एकरारित राशि रू० 300.25 लाख थी तथा एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.03.2014 सुनिश्चित थी ।*	*उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–5.2.6.5 से इनके कथन की पुष्टि होती है।*
2.	*हमारी कम्पनी द्वारा एकरारनामा सम्पादन के पश्चात् एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमदों का कार्यान्वयन एकरारनामा में विरूपित शर्तों एवं विभागीय अभियंताओं / Engineer in Charge द्वारा संसूचित निदेश के आलोक में सर्वांगीण*	*उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 5.2.6.10 से स्पष्ट है कि कार्य के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल*

	रूप से निर्धारित अवधि के अधीन (31.03.2024 तक) पूर्ण कर लिया गया था। कार्य के कार्यान्वयन की श्रृंखला में कार्यमदों की गुणवत्ता एवं Specification से संतुष्ट होकर स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता / सहायक अभियंता द्वारा कार्यमदों की प्रविष्टि /जाँच मापी पुस्त में की जाती थी जिसका भुगतान विभिन्न RA Bill के माध्यम से प्रमंडल के द्वारा हमें किया गया था। कार्य पूर्ण हो जाने पश्चात् भी कराये गये कार्य का लम्बित भुगतान DLP को सन्दर्भित करते हुए 7th RA Bill / 28.07.2016 के माध्यम से वर्ष 2015–16 में किया गया था। सारांशित है कि गुणवत्ता पूर्ण कराये गये कार्य का भुगतान हमारी कम्पनी को समय–समय पर दिया गया था। इस तरह करायी गयी कार्य तदुपरांत उसके विरूद्ध किये भुगतान की पृष्ठभूमि में मेरी कम्पनी द्वारा विषय समर्पित किये जाने की चर्चा की प्रासंगिकता का औचित्य यथोचित प्रतीत नही होता है ।	टिप्पणी अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप कराया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामला कार्य के गुणवत्ता से संबंधित न होकर वर्तमान में उसके Level Difference से संबंधित है।
3.	हमारे निबंधन के कालीकृत किये जाने हेतु हमारी कम्पनी द्वारा बिहार ठीकेदारी नियामावली 2007 के नियम II (क) (II) मे निहित कारण एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक किये जाने हेतु दोषी घोषित किया गया है। इस आरोप के दो मूल बिंदु है एवं दोनों बिंदु एक दूसरे के पूरक है । श्रीमान् सहमत होंगे कि इस एकरारनामा के दो पक्ष है। एक पक्ष Client है जो यहाँ Water Resource Department है। दूसरा पक्ष Agency है जो हमारी कम्पनी है। Client के Representative	संवेदक द्वारा उल्लेख किया गया है कि Client अर्थात् जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा एकरारनामा में निहित शर्तों के अनुरूप कार्य कराया गया एवं 10 वर्षों बाद इस पुराने कार्य की जांच की गई। इस संबंध में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–5. 2.6.7 का अवलोकन किया जा

	के रूप में प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता है। कार्यपालक अभियंता इस कार्य के Engineer in Charge थे एवं प्रभारी स० अ० एवं क० अ० द्वारा एकरारनामा में निरूपित शर्तों को प्रबोधित करते हुए कार्य कराया गया था और एजेन्सी के रूप में हमारी कम्पनी द्वारा तद्नुसार अनुपालन किया गया था तथा प्रमंडल द्वारा कराये गये कार्य का भुगतान विभिन्न RA Bill के माध्यम से किया गया था ऐसी परिस्थिति मे करीब 10 साल पुराने कार्य में उसे त्रुटिपूर्ण घोषित करते हुए कार्य निस्पादन में चूक के रूप में अधिघोषित आरोप सर्वथा उचित प्रतीत नहीं हो रहा है।	सकता है, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत कार्य का सातवां चालू विपत्र के रूप में अब तक का अंतिम भुगतान किया गया है, जो दिनांक–28.07.2016 की तिथि में पारित है। अतः स्पष्ट है कि कार्य निष्पादन के लगभग सात वर्षों के बाद उक्त कार्य का जांच किया गया है।
4.	आदेश में उल्लेख है कि नहर का प्रावधानित Bed Level औसतन 0.627 मी० ऊँचा है यानि रूपांकित Bed Level वर्तमान के Bed Level से 0.627 मी० नीचे होना चाहिए। इस सन्दर्भ में श्रीमान् का ध्यान हमारे एकरारनामा में सन्दर्भित कार्य की ओर आकृष्ट करना है। एकरारनामा के Scope के अनुसार हमारी कम्पनी को शाखा नहर II के वि०दू० 0.00 से वि०दू० 8.20 के बीच ब्रीक लाइनिंग का कार्य किया जाना था। स्पष्ट है कि इस एकरारनामा के पूर्व में Canal के उस भाग में मिट्टी कार्य कराकर उसे Design Bed Level में पूरा कर लिया गया था और Unlined Canal में हो रहे Seepage lose पर नियंत्रण करने के उद्येश्य से Brick Lining का कार्य कराया जा रहा था। जिसकी सम्पुष्टि आरोप पक्ष के साथ संलग्न उड़नदस्ता अंचल – 2 जल संसाधन	संवेदक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत नहर, जिसका brick lining उनके द्वारा किया जाना था, को Client (जल संसाधन विभाग) के पदाधिकारियों से प्राप्त निर्देश के आलोक में निष्पादित किया गया है। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–5.2.6.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कार्य से संबंधित तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नहर के वि0दू0 0.00 से

	विभाग पटना के स्थलीय जाँच प्रतिवेदन के क्रमांक 7.2.6.2 से होती है। उसमें उल्लेख है कि यह वही Reach है जिसमें हमारी कम्पनी द्वारा Brick Lining का कार्य कराया गया है। स्पष्ट है कि कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही विभाग द्वारा Brick Lining की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि Brick lining के level से यदि उच्चोत्तर और 0.627 मी० level और नीचे किया जाय तो इसका प्रतिफल नहर के Width की कमी के रूप में होगी अथवा यदि Bed Width वर्तमान के Bed Width बराबर रखी जाय तो Canal के दोनो तरफ के Side Slope में परिवर्तन होगा और F.S.L/F.S.D सहित अन्य जलीय आँकड़ो में परिवर्तन होगा। इसकी समीक्षा तकनीकी स्तर पर वांछनीय प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि एकरारनामा के Scope of Work के अनुसार विभाग द्वारा चिन्हित दोष/आरोप से हमारी कम्पनी को इस एकरारनामा के आलोक में कोई संबंध नहीं है। श्रीमान् से अनुरोध है कि वि०दू० 0.00 से वि०दू० 8.20 की लम्बाई में Existing Bed Level के 0.627 मी० नीचे करते हुए संसोधित Canal Cross section जिसमें दोनो तरफ के प्रभावित Side Slope भी हो को समावेशित कर मिट्टी कार्य की गणना अभियंत्रण संगठन से कराने पर इसका प्रतिफल अपने आप में नयी तस्वीर पेश होगा ।	वि0दू0 8.20 तक नहर का मिट्टी का कार्य पूर्ण है अर्थात् आगे नहर में मिट्टी का कार्य नहीं किया जाना है। प्राक्कलन के Detailed Estimate भाग के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि brick lining कार्य के इस स्वीकृत प्राक्कलन में मिट्टी कटाई/ मिट्टी भराई का प्रावधान नहीं किया गया था। सिर्फ Lip Cutting का प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रश्नगत कार्य के तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन के प्रतिवेदन में brick lining कार्य हेतु मुख्य अभियंता स्तर से Typical Section का अनुमोदन प्राप्त हैं। प्राक्कलन में E/W से संबंधित एकमात्र कार्य मद Lip Cutting का समावेश किया गया है, जिसकी आवश्यकता Brick Lining के दौरान सेक्सन के ड्रेसिंग इत्यादि के लिए किया जाता है।
5.	श्रीमान् सहमत होंगे कि पूर्व के सम्पादित Unlined Canal Section में Brick Lining कार्य कराने की प्रक्रिया में पूर्व के मिट्टी कार्य में हुए Swelling Undulation इत्यादि को Lip के	

	पूर्व ठीक करना आवश्यक होता है। इस हेतु Canal के Side Slopes एवं Bed Slope में Trimming एवं Dreasing करना पड़ता है। इस परिपेक्ष्य में हीं मिट्टी कार्य की कुछ मात्रा का प्रावधान एकरारनामा में था ।	

इससे स्पष्ट होता है तत्कालीन पदस्थापित अभियंताओं द्वारा यह आश्वस्त हो लिया गया था कि Brick Lining के लिए नहर का उपयुक्त सेक्सन (मिट्टी कार्य के उपरांत) प्राप्त कर लिया गया था और उसी के अनुसार संवेदक को कार्य स्थल उपलब्ध कराया गया। अतएव लेवल डिफरेंस के लिए संवेदक की जिम्मेवारी परिलक्षित नहीं होती है।

3. कार्यालय टिप्पणी का सार यह है कि Brick Lining के लिए नहर का उपयुक्त सेक्सन तत्कालीन अभियंताओं द्वारा आश्वस्त होने के पश्चात् संवेदक को कार्य स्थल उपलब्ध कराया गया एवं वर्तमान लेवल डिफरेंस के लिए संवेदक की जिम्मेदारी परिलक्षित नहीं हुई है।

4. सुनवाई के क्रम में मुख्य अभियंता, भागलपुर एवं उनकी टीम को भी सुना गया। यह निर्विवाद है कि नहर बेड लेवल प्रावधानित से औसतन 0.627 मीटर ऊँचा पाया गया है जो शाखा नहर–II के वि0दू0 0.00 से वि0दू0 8.20 तक के बीच के लिए है, जो त्रुटिपूर्ण है।

5. उड़नदस्ता द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि प्री एवं पोस्ट लेवल अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, यह स्थिति नितांत चिंताजनक है। इस विषय की समीक्षा की जानी आवश्यक है कि किस स्तर पर चूक हुई है तथा अभिलेखों में हेराफेरी करने के लिए कौन जिम्मेदार हैं। इस प्रकरण में वर्तमान संवेदक के पूर्व संवेदक द्वारा भी कार्य किया गया है। गंगा पंप नहर प्रमंडल में कतिपय अन्य योजनाओं में भी अपूर्णता की स्थिति है जिसका गहन विश्लेषण आवश्यक है। अतः इसके लिए सलाहकार, श्री रवीन्द्र कुमार शंकर की अध्यक्षता में समीक्षा करने हेतु निम्नांकित दल गठित किया गया है–

(1) श्री रवीन्द्र कुमार शंकर, सलाहकार, नीतिगत मामले ।

(2) मो0 सोहैल अहमद अंसारी, मुख्य अभियंता, भागलपुर।

(3) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल–2 ।

6. उपर्युक्त दल से अनुरोध है कि आवश्यक अभिलेखों की जांच, स्थल जांच, योजना का डीपीआर एवं Technical Sanction, Drawing इत्यादि का तथा उड़नदस्ता की पुरानी जांच रिर्पोटों का भी गहराई से अध्ययन कर लें तथा अधिकाधिक दो माह में प्रतिवेदन तथा आगे की रणनीति, जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आम जनता तक पहुंच सके–सुझाने की कृपा करें।

7. उपर्युक्त स्थिति में वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध की गयी कार्रवाई Pre-mature तथा आधारहीन प्रतीत होती है एवं तद्नुसार विभागीय आदेश संख्या–6665 दिनांक 05.12.2025 को निरस्त किया जाता है।

8. उपर्युक्त जांच दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं सुझाव के अनुसार पुनः आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

(संतोष कुमार मल्ल)

ज्ञापांक :– 26 / विविध–04–03 / 2024 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपि :– मेसर्स श्रीराम इन्टरप्राईजेज, एम0डी0–श्री रौशन कुमार अग्रवाल, श्रीराम टावर, 2nd फ्लोर MPD रोड नया बाजार, भागलपुर, पिन कोड–812002 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांकः– 26 / विविध–04–03 / 2024 पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

b

ज्ञापांकः– 26/विविध–04–03/2024 पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल–2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26/विविध–04–03/2024 पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, यो0 एवं मो0, जल संसाधन विभाग, पटना को पारित आदेश की कंडिका–5 के आलोक में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26/विविध–04–03/2024 7103 पटना, दिनांक :29/12/25

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/12/25
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।